(२५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयाल
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2083–एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–10–2011 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 159/अपील/2010–11.

.....

अमृतलाल आ0 बिहारीलाल
निवासी–ग्राम डूंगरपुर तहसील खुजनेर
जिला–राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1– भंवरलाल आ0 छीतालाल
2– पर्वतसिंह आ0 हीरालाल
निवासी–ग्राम डूंगरपुर तहसील खुजनेर
जिला–राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

––– अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण एकपक्षीय

.....

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 10/12/14 को पारित)

– – –

यह निगरानी का आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–10–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक अमृतलाल ने नायब तहसीलदार टप्पा खुजनेर के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा–131 व 132 के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम डुंगरपुर प0ह0न0 66 तहसील व

जिला राजगढ़ में उसके आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे कमांक 70/1 रकबा 0.218 स्थित है, जिसमें आने–जाने का रास्ता भूमि सर्वे नं0 252/258, 259/2/1, एवं 259/2/2/3 की मेढ़ से होकर जाता है, जिसे अनावेदकगण द्वारा बागड़, पत्थर लगाकर रोक दिया गया है । अन्य कोई भी रास्ता उसकी भूमि पर जाने के लिए नहीं बचा है, इस कारण उसे अपनी कृषि भूमि पर नहीं पहुॅच पाने से नुकसान हो रहा है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । न्यायालय नायब तहसीलदार ने नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2011 के द्वारा रास्ता खोले जाने के आदेश दिये। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 27/अ–13/अपील/2010–11 पर पंजीबद्ध की जाकर पारित आदेश दिनांक 22.03.2011 के द्वारा अपील को निरस्त कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित के आदेश दिनांक 22.03.2011 से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 159/अपील/2010–11 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 04.10.2011 से अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण प्रकरण नायब तहसीलदार न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे स्थल निरीक्षण तथा समस्त संबंधितों को सूचना देते हुये उपयुक्त विवेचना के प्रकाश में विधिवत आदेश पारित करें। आवेदक द्वारा इसी प्रत्यावर्तित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष हीरालाल, किशनलाल एवं भंवरलाल के द्वारा रास्ता बंद किये जाने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने सभी पक्षों की साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी तथा साक्ष्य में अनावेदकगणों द्वारा मौके पर रास्ता होने का उल्लेख किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगणों की साक्ष्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया है । आवेदक एवं ग्रामवासी विवादित रास्ते का अपने पूर्वजों के समय से उपयोग कर रहे

तथा विवादित रास्ते के अतिरिक्त आवेदक व अन्य ग्रामवासियों को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । विवादित आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि विवादित रास्ते को राजस्व नक्शें में भी रास्ते के रूप में चिन्हित किया गया है तथा अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया गया है । तर्क में यह भी बताया गया है कि अनावेदक क्रं0 2 अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नहीं था तथा अनावेदक क्रं0 1 स्थल निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित था उसके द्वारा स्थल निरीक्षण पंचनामे पर हस्ताक्षर भी किये गये थे । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । वे पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से आयुक्त के आदेश में वर्णित इस तथ्य की पुष्टि होती है कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण की कार्यवाही सभी पक्षों को पूर्व सूचना देकर नियमानुसार नहीं की गई । स्थल निरीक्षण पंचनामा सरसरी तौर पर तैयार किया गया है । आयुक्त ने प्रकरण पुनः जांच के लिए प्रत्यावर्तित किया है। आवेदक यह बताने में असफल रहा है कि प्रकरण में पुनः विधिवत जांच होने से उसे क्या आपत्ति है । विधिक कार्यवाहियों से प्रकरण में सम्बन्धितों को रास्ता मिलने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आयुक्त के आदेश में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर